

20-08-2014

वादीगण द्वारा श्री शहीद खान अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 द्वारा श्री योगेन्द्र बिसेन अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 5 पूर्व से एकपक्षीय।

वादीगण ने आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. आई.ए.नं. 1 में निवेदन किया है कि उसका दावा की मांग में प्रारूपिक त्रुटि है जिस कारण उन्हें वाद में सफलता मिलने की संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण को दावा पुनः पेश करने के अधिकार के साथ यह दावा मय दस्तावेज के वापस किये जाने की अनुमति प्रदान की जाये।

प्रतिवादीगण ने आवेदन के जवाब में व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण गरीब व्यक्ति है, वादीगण द्वारा बार-बार वाद पेश कर परेशान करने की गरज से उक्त वाद वापस लिया जा रहा है। अतएव वादीगण का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

वादीगण ने अपने आवेदन में वादपत्र की कथित त्रुटि की जानकारी नहीं दी है। यद्यपि वादीगण को अपना वाद वापस लेने का अधिकार है। चूंकि वाद में वादीगण को अपना वाद सफलतापूर्वक पेश करने तथा त्रुटि को दूर करने का अधिकार प्राप्त है। वादीगण ने आवेदन आदेश 23 नियम 3 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत पेश किया है किन्तु आवेदन में चाही गई सहायता आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.सं. के प्रावधान अंतर्गत की है। यद्यपि उक्त कारण से तकनीकी आधार पर आवेदन का निराकरण न करते हुए वांछित सहायता के अनुसार आवेदन का निराकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वाद में विचारण प्रारम्भ हो चुका है तथा वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी ने आवेदन विलम्ब से पेश किया है तथा उक्त परिस्थिति में प्रतिवादी को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ा है। इस कारण वादी से प्रतिवादी पक्ष को प्रतिकर स्वरूप राशि दिलायी जा सकती है। अतएव न्याय की मंशा को देखते हुये वादीगण का आवेदन पत्र आदेश 23 नियम 1 व्य.प्र.सं. के प्रावधान अंतर्गत स्वीकार किया जाकर वादीगण को 1,000/-रुपये परिव्यय पर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ इस वाद का प्रत्याहरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत मूल दस्तावेज विधिवत् वापस प्रदान किया जावे।

वादीगण वाद का व्यय स्वयं वहन करेंगे।

प्रकरण में व्यय तालिका तैयार की जावे।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार पंजी अ में दर्ज किया जाकर प्रकरण समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

बैहर